

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा)

पंचायत समिति परिसर, झोटवाड़ा, जयपुर -302012

क्रमांक:-एफ. 1 ( )आत्मा/लेखा/खुली.नि./2017-18/1454-59 दिनांक:-6/10/17

**सीमित निविदा सूचना**

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्ध अभिकरण (आत्मा) योजनान्तर्गत केफेटेरिया बी. 9 ए के प्रावधानानुसार वर्ष 2017-18 में कृषि साहित्य एवं कृषि सम्बन्धी जानकारियों का मुद्रण कार्य करवाया जाना है। उक्त कार्या हेतु स्थानीय रजिस्टर्ड मुद्रणकर्ताओं से निम्नानुसार मुद्रण कार्य हेतु दरें आमंत्रित की जाती हैं:-

क. स	मुद्रण सामग्री का विवरण	प्रस्तुत किये जानेवाला पेपर	अनुमानित मुद्रण लागत
1.	कृषि सम्बन्धी साहित्य जो कार्यालय द्वारा मुद्रण हेतु उपलब्ध कराया जावेगा। (पूर्व मुद्रित सामग्री का अवलोकन कार्यालय समय में किया जा सकता है।)	1. 120 GSM पेपर पर (30cm x 21cm) एवं (12cm x 21cm) साइज में 2. 170 GSM पेपर पर (30cm x 21cm) एवं (12cm x 21cm) साइज में	02.00 लाख रुपये

उक्त कृषि साहित्य रंगीन प्रिन्ट किया जायेगा। निविदायें मोहरबन्द लिफाफे में "कृषि साहित्य मुद्रण हेतु निविदायें" लिखकर प्रस्तुत की जावें। निविदायें अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय को दिनांक 23.10.2017 को मध्याह्न 12.00 बजे तक प्रस्तुत की जानी हैं जिन्हें उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे सक्षम कमेटी द्वारा खोला जावेगा। निविदा की शर्तें एवं नियम संलग्न प्रपत्र में दिये गये हैं जिनका पालन निविदादाता को करना होगा।

( लक्ष्मण राम )

उप निदेशक कृषि एवं पदेन  
परियोजना निदेशक (आत्मा)  
जिला जयपुर

क्रमांक:-एफ. 1 ( )आत्मा/लेखा/खुली.नि./2017-18/  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष (आत्मा) जयपुर।
2. श्रीमान् निदेशक, समेती (आत्मा) दुर्गापुरा, जयपुर।
3. श्रीमान् निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, सचिवालय, जयपुर।
4. एनालिसिस्ट कम प्रोग्रामर, कृषि आयुक्तालय, राज. जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय साइट [www.krishi.rajasthan.gov.in](http://www.krishi.rajasthan.gov.in) पर उक्त निविदा को अपलोड करवाने का श्रम करें।
5. नोटिस बोर्ड, कार्यालय श्रीमान् जिला कलेक्टर, जयपुर।

( लक्ष्मण राम )

उप निदेशक कृषि एवं पदेन  
परियोजना निदेशक (आत्मा)  
जिला जयपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा)

पंचायत समिति परिसर, झोटवाड़ा, जयपुर -302012

क्रमांक:-एफ. 1 ( )आत्मा/लेखा/खुली.नि./2017-18/


दिनांक:-

निविदा सूचना संख्या 1454-1459/06.10.2017 कृषि साहित्य मुद्रण हेतु निविदा प्रपत्र

1.	कार्यालय का नाम	उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा) जयपुर।		
2.	निविदा सूचना संख्या	1454/03.10.2017		
3.	धरोहर राशि	रूपये 4000.00		
4.	संलग्न दस्तावेज	1. फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, 2. पैन कार्ड 3. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन (यदि रजिस्टर्ड है)		
5.	निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पूर्ण पता			
7.	कार्य का विवरण	कृषि साहित्य मुद्रण कार्य		
8.	प्रस्तावित दर	कृषि साहित्य मुद्रण का कार्य किये जाने हेतु दरें निम्नानुसार प्रस्तुत करें		
		दर प्रति हजार	दर प्रति हजार	
	120 GSM पेपर पर (12cm x 21cm ) एवं ( 30cm x 21cm ) साइज में	.....	170 GSM पेपर पर (12cm x 21cm ) एवं ( 30cm x 21cm ) साइज में	.....
	योग दर "अ"		योग दर "ब"	
	योग "अ" + "ब" का कुल योग:- अंकों में ..... शब्दों में :.....			

मैंने/हमने उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा) जयपुर द्वारा उपापन समिति द्वारा जारी की गई निविदा की समस्त शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ व समझ लिया है तथा मुझे/हमें निविदा की समस्त शर्तें मंजूर हैं व उनके सभी पृष्ठों पर उल्लेखित शर्तों को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किया जाता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

  
उप निदेशक कृषि एवं  
पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा)  
जयपुर ।

राजस्थान सरकार  
कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा)  
पंचायत समिति परिसर, झोटवाड़ा, जयपुर -302012

### निविदा की शर्तें

कार्यालय द्वारा वर्ष 2017-18 में आत्मा योजनान्तर्गत की जाने वाली गतिविधियों हेतु  
कृषि साहित्य मुद्रित करवाये जाने के लिये आमंत्रित सीमित निविदा संख्या

1454-1459/06.10.2017 की शर्तें एवं नियम

1. स्थानीय अधीकृत मुद्रणकर्ता ही निविदादरें प्रस्तुत करें, अपंजीकृत मुद्रणकर्ताओं की निविदादरें स्वीकार्य नहीं होंगी।
2. निविदादरें मोहर बन्द लिफाफे में " कृषि साहित्य मुद्रण हेतु दरें" लिखकर ही प्रस्तुत की जावें। लिफाफा पूर्णतया सीलबन्द होना चाहिये तथा लिफाफे पर सम्बन्धित मुद्रणकर्ता फर्म का पूर्ण नाम मय पते के अंकित होना चाहिये।
3. मुद्रण सामग्री कार्यालय द्वारा कार्यादेश दिये जाने के समय उपलब्ध करवाई जावेगी, इससे पूर्व निविदादाता चाहे तो कार्यालय समय में मुद्रण हेतु उपलब्ध साहित्य का अवलोकन कर सकता है।
4. प्रिन्ट किये जाने वाले पेपर को 2 अथवा 3 फोल्ड में तैयार करना होगा।
5. निविदादाता फर्म नियमानुसार जीएसटी हेतु पंजीकृत होना चाहिये। पंजीकरण की प्रति कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
6. फर्म को मुद्रण कार्य हेतु नियमानुसार प्राप्त पंजीकरण पत्र की प्रति कार्यालय को उपनलब्ध करानी होगी।
7. साहित्य मुद्रण में प्रयुक्त पेपर निविदा में दिये गये मापदण्डों के अनुसार ही होना आवश्यक है, साथ ही पेपर की साइज जो कि निविदा में अंकित की गई है वह भी निविदानुसार ही होना आवश्यक है।
8. निविदा के साथ नियमानुसार कुल लागत राशि की 2 प्रतिशत राशि बतौर धरोहर राशि प्रस्तुत करनी होगी जो कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम देय डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा कार्यालय में नकद जमा करवाई जा सकेगी। बिना धरोहर राशि प्रस्तुत निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि निविदादाताओं को तत्काल ही लौटा दी जावेगी।
9. न्यूनतम दर प्रदाता का निर्धारण आईटम "अ" एवं "ब" की प्राप्त कुल संयुक्त दर के आधार पर किया जावेगा।
10. उक्त निविदा राजस्थान लोक उपापन नियम 2012 व 2013 के प्रावधानों के अध्यक्षीन जारी की जा रही है। निविदा शर्तों एवं राजस्थान लोक उपापन नियमों के प्रावधानों में कोई विरोधाभास पाया जाता है तो राजस्थान लोक उपापन नियम ही मान्य होंगे।
11. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकण से भरा जायेगा। पेंसिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. निविदा दरें अंको में एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिये, अंकों एवं शब्दों में अंकित दरों में अन्तर पाया जाता है तो दोनों में से जो न्यूनतम दर होगी वह दर सक्षम कमेटी द्वारा स्वीकार्य होगी।

13. निविदा दरों में किसी प्रकार की काट-छांट ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिये, यदि ऐसा होता है तो निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी।
14. न्यूनतम दर प्रदाता फर्म को कार्यादेश दिये जाने के तत्काल बाद नियमानुसार दिये गये आदेश की लागत की 5 प्रतिशत राशि बतौर सिक्योरिटी कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
15. निविदादाता द्वारा दिये गये कार्य आदेश के अनुरूप समय बद्ध एवं निर्देशित गुणवत्ता का कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि समप्रहत (Forfit) कर ली जावेगी।
16. निविदादाता को किये जाने वाले भुगतान से नियमानुसार टीडीएस की कटौती की जावेगी जिसके लिये फार्म 16-ए उपलब्ध करवा दिया जावेगा।
17. मुद्रण हेतु दी जाने वाली साहित्य सामग्री में कटौती अथवा बढोतरी करने का पूर्ण अधिकार कार्यालय अध्यक्ष के पास सुरक्षित होगा।
18. निविदादाता की सहमति से अनुमोदित दरों पर अगले वर्ष 2018-19 में मुद्रित करवाये जाने वाले कृषि साहित्य हेतु मुद्रण आदेश दिये जा सकेंगे।

(लक्ष्मण राम )  
उप निदेशक कृषि एवं  
पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा)  
जिला- जयपुर

निविदा दाता के हस्ताक्षर